भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3197**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**महाराष्ट्र के लिए प्रेक्षण एवं विशेष गृह हेतु निधियां**

**3197. श्री राजकुमार धूत:**

 क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कानून तोड़ने वाले किशोरों, जिनके प्रति कानून में द्वंद की स्थिति है, के बेहतर आवासन के लिए राज्यों को भवनों का निर्माण करने और संप्रेक्षण गृहों तथा विशेष गृहों की अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय निधियां आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्यार्थ आवंटित और महाराष्ट्र को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

 (क) और (ख) जी हां! अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा के तहत बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत एक गृह के निर्माण के‍ लिए रू.87.45 लाख तथा सरंचनात्‍मक परिवर्तनों एवं आवासीय-सुविधाओं के उन्‍नयन और वर्तमान गृह के अनुरक्षण के लिए रू.7.50 लाख का प्रावधान है ।

(ग) और (घ) कथित अवधि के दौरान इस प्रकार के गृहों के भवनों के निर्माण और बुनियादी विकास के लिए निधियन के बारे में महाराष्‍ट्र राज्‍य की सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*